कार्यालय उप संचालक बफर जोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

Phone - 07642-250760 E-mail – ddknpb..mdl@mp.gov.in, ddbuffer.knp@gmaill..com

// ई–निविदा सूचना //

क्रमांक / लेखा / 3595 मण्डला दिनांक 16/10/2025

बफर जोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला के अंतर्गत बालाघाट एवं मण्डला जिले के कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत / प्रस्तावित विभिन्न निर्माण / विभागीय गतिविधियों से संबधित कार्यों हेतु निम्नानुसार दर्शित आवश्यक निर्माण तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु उल्लेखित शर्तों के अधीन ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा फार्म का मूल्य 500 / – रूपये है। निविदाएं मध्यप्रदेश शासन की साइट www.mptender.gov.in एवं www.mpforest.org पर देखी जा सकती हैं । निविदा पूर्णतः आनलाइन प्राप्त तथा प्रस्तुत की जावेंगी । आफलाइन / भौतिक निविदा मान्य नंही होगी।निविदा में अमानत की राशि रू. 24000 / – आनलाइन जमा की जावेगी।

समूह क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	निविदा सुरक्षा राशि
1	दरवाजा हेतु साल लकड़ी चौखट साइज 3.'6x7.'0 फीट मोटाई 5"x2.6" इंच 30 एम.एम.पतान के साथ (सभी आंतरिक माप में)	आवश्यकतानुसार	24000 / –
2	दरवाजा हेतु साल लकड़ी चौखट साइज 2.'9x7.'0 मोटाई 5"x2.6" इंच 30 एम.एम. पतान के साथ (सभी आंतरिक माप में)		
3	चौखट साइज 3.'6x7.'0 फीट हेतु बीजा लकड़ी में 30 एम.एम. मोटाई का पल्ला(सभी आंतरिक माप में) एस.एस. ऐसेसरीज के साथ		
4	चौखट साइज 2.'9x7.'0 फीट हेतु बीजा लकड़ी में 30 एम.एम. मोटाई का पल्ला(सभी आंतरिक माप में) एस.एस. ऐसेसरीज के साथ		
5	खिडकी हेतु साल चौखट साइज 5.'0x4.'6 फीट मोटाई 5'0x2.6" इंच 30 एम.एम. पतान के साथ (सभी आंतरिक माप में) चोड़ाई में तीन पार्टीशन के साथ		
6	खिडकी हेतु साल चौखट साइज 4.'0x4.'6 फीट मोटाई 5'0x2.6" इंच 30 एम.एम. पतान के साथ (सभी आंतरिक माप में) चोड़ाई में तीन पार्टीशन के साथ		
7	वेंटीलेटर हेतु साल चौखट साइज 2.'0x1.'6 फीट मोटाई 5"x2.6" इंच 30 एम.एम. पतान के साथ (सभी आंतरिक मापमें)		
8	खिडकी हेतु चौखट साइज 5.'0x4.'6 हेतु बीजा लकड़ी में 3 नग पल्ला 30 एम.एम. पतान (सभी आंतरिक में) 4 एम.एम. टिण्डेड ग्लास एवं एस.एस. ऐसेसरीज के साथ ।		
9	खिडकी चौखट साइज 4.'0x4.'6 हेतु बीजा लकड़ी में 3 नग पल्ला 30 एम.एम. पतान (सभी आंतरिक में) 4 एम.एम. टिण्डेड ग्लास एवं एस.एस. ऐसेसरीज के साथ		
10	वेंटीलेटर साइज 2.'0x1.'6 " हेतु बीजा लकड़ी में पल्ला मोटाई 5.'x2.6" इंच 30 एम.एम. पतान के (सभी आंतरिक माप में) 4 एम.एम. टिण्डेड ग्लास एवं एस.एस. ऐसेसरीज के साथ		
11	वर्जिन एल्यूमीनियम विंडो फेम 2 एम एम मोटाई में 3 ट्रेक स्लाइडिंग 2 ग्लास (4 एम. एम.) एवं एक मास्किटो जाली के साथ।		
12	एल्यूमीनियम विंडो फेम (लाइट क्रीम पाउडर कोटिग के साथ) 2 एम.एम. मोटाई में 3 ट्रेक स्लाइडिंग 2 ग्लास पेनल (4 एम.एम.) एवं एक मास्किटो जाली के साथ।		
13	एल्यूमीनियम वेंटिलेंटर फेम 2 एम.एम. मोटाई में मास्किटो जाली के साथ		

1. निविदा दस्तावेज से संबधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं । निविदा से संबधित विवरण mpforest.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं ।
2. इच्छुक निविदाकार क्रेडिट / डेबिट / केशकार्ड / इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर केवल ऑनलाइन खरीद सकते है। ।
3. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा की तिथियों लागू होंगी ।
4. ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धि पत्र / परिशिष्ठ कोई हो तो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा , समाचार पत्रों में नहीं
5. निविदा में स्वीकृत दरें अनुबंध उपरांत स्वीकृति की तिथी से आगामी एक वर्ष के लिए बंधनकारी होंगी ।
6. निविदाकार स्वयं संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमाण कर क्षेत्र ऑकलन पश्चात ही निविदा में सम्मिलित होवें ।
7. निविदा दरों की स्वीकृति की वैधता सफल निविदाकार एवं उप संचालक बफरजोन के बीच आपसी सहमति से मुख्य अनुबंध तिथी के पूर्ण होने उपरांत 90 दिनों तक बढाई जा सकती है ।

उप संचालक,
बफरजोन वनमण्डल,
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

खंड-II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमाक	जानकारी	विवरण
1.	संक्षिप्त विवरण	बफरजोन वनमण्डल के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यो में उपयोग हेतु भवन निर्माण सहायक सामग्री का निविदा के माध्यम से कय
2.	ई– निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	.... दिनांक ....
3.	निविदा शुल्क /निविदा दस्तावेज की लागत	500/– प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4.	सत्यांकार निधि	24000/– रू. चोबीस हजार मात्र
5.	निविदा प्रस्ताव की वैधता	अनुबंध संपादन पश्चात स्वीकृति की तिथी से एक वर्ष तक
6.	निष्पादन सुरक्षा	24000/–रू. चोबीस हजार
7.	अनुमानित निविदा मूल्य	800,000/–
8.	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
9.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
10.	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
11.	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेडयूल देखें)
12.	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://mptenders.gov.in/पर करें

1. निविदा की स्वीकृती दरों की वैधता सफल निविदाकार और उप संचालक बफरजोन वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 (नब्बे दिवस) दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में सामग्री की अनुमानित मात्रा दर्शित नंही है । यह स्वीकृत एवं प्रस्तावित कार्यो के आधार पर सफल निविदाकार और उप संचालक बफरजोन वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बढाई जा सकती है।
3. उप संचालक बफरजोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व (निविदाकार) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्वता नहीं करता हैं कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण, बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. **प्रति निविदाकार एक निविदाः**

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत ईकाई या सयुंक्त उदयम हो सकता है । सयुंक्त उदयन की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है

4.2 कोई भी निविदाकार सयुंक्त रूप से या अलग अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नंही होगा । यदि वह ऐसा करता है तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जावेंगी ।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा और इसके लिए सरकार पर कोई दावा भी नंही किया जावेगा ।

6. निविदाकार का सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें । इस संबध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा ।

7. लकड़ी के दरवाजे खिड़की की माप में +/- (5) प्रतिशत अंतर होने पर भी स्वीकृत दरें ही मान्य होंगी ।

उप संचालक,
बफरजोन वनमण्डल,
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

C:\Users\dubey\OneDrive\Desktop\desktop\tender 25-26\DOORWINDOW\DOORWINDOW-ALUMIN-SECTION.docx

एनेक्सर 1

कार्यालय उप संचालक बफर जोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

Phone - 07642-250760 E-mail – ddknpb..mdl@mp.gov.in, ddbuffer.knp@gmaill..com

निविदा की मुख्य शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदाएं केवल ई टेण्डरिंग के माध्यम से ही आनलाइन क्रय एवं जमा की जा सकती है, निविदा क्रय हेतु निविदा प्रपत्र की कीमत रूपये 500/– (प्रोसेसिंग शुल्क) तथा निविदा सुरक्षा की राशि रू. 24000/– रू. पन्द्रह हजार मात्र आन लाइन उप संचालक बफरजोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व के पक्ष में जमा कर पावती/चालान की स्केन प्रति अपलोड किया जाना है ।
2. निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने पर कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रूपये 1000 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करते हुए सामग्री हेतु प्रथक से सलग्न सूची अनुसार स्वीकृत सामग्री वार धरोहर राशि (Performing security deposite) का एफ.डी.आर. उप संचालक बफरजोन वनमण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम (राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी) पर 15 माह की अवधि हेतु देय दर्शाते हुए जमा किया जाना आवश्यक होगा। अनुबंध अनुसार एफ.डी.आार.जमा नंही किये जाने की स्थिति में अमाानत की राशि राजसात कर द्वितीय निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार किया जावेगा।
3. निविदा में दरों की स्वीकृति एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात सफल निविदाकारों की निविदा सुरक्षा की जमा राशि पोर्टल द्वारा स्वमेव मुक्त की जावेगी
4. निविदा दर निर्धारित फार्म BOQ में फर्म के जीएसटी नम्बर दर्शाते हुए प्रस्तुत की जावेगी । जिस सामग्री हेतु बिडर को दरें प्रस्तावित नंही करनी है उनमें शून्य (Zero) अंको में अकिंत किया जावेगा ।
5. निविदाकार द्वारा एनेक्सर 2 के अनुसार आवश्यक अभिलेख जमा किये जावेंगें ।
7. तकनीकि प्रतिवेदन में फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन, पेनकार्ड, बिन्दु क्रंमाक 1 से 10 हेतु वन विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।
8. प्रस्तुतकर्ता फर्म का मण्डला अथवा बालाघाट जिला (बफरजोन वनमण्डल कार्य क्षेत्र) में कार्यरत होना आवश्यक है इसके लिये फर्म के प्रोपराइटर का आधार कार्ड/ फर्म का स्थाई पते से संबंधित अभिलेख संलग्न किये जावेंगे।
10. सामग्री की अनुमानित मात्रा की सूचना वर्ष में स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कार्यों के आधार पर दर्शाई गई है, अतः निविदा स्वीकृति पश्चात् सामग्री प्रदाय की स्थिति में मात्रा में कमी अथवा अधिकता की स्थिति निर्मित हो सकती है तथापि मांग अनुसार सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
11 प्रदाय की जाने वाली सामग्री निविदा प्रपत्र में दर्शित अनुसार मानक गुणवत्ता की होगी। सामग्री गुणवत्ता विहीन होने निर्धारित माप से कम होने अथवा अनियमितता की स्थिति में सामग्री स्वीकार नही की जावेगी एवं गुणवत्ता विहीन सामग्री के मौके पर से उठाने का समस्त व्यय संबधित प्रदायकर्ता को वहन करना होगा राशि संबधित निविदाकार के आगामी देयकों से अथवा सामग्री हेतु जमा प्रतिभूति/एफ.डी.आर से वसूली योग्य होगी।
12. सामग्री के मौका स्थल पर प्रदाय नही किये जाने/गुणवत्ता विहीन सामग्री प्रदाय किये जाने पर प्रदायकर्ता द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में अमानत की राशि राजसात करते हुए प्रदायकर्ता फर्म को 3 वर्ष हेतु काली सूची में डालने की कार्यवाही की जावेगी।
13. निविदाकार का जी.एस.टी. नंबर आन लाइन परीक्षण में जीवित /कियाशील प्रदर्शित होना आवश्यक है निविदा में स्वीकृति दरें निविदा अनुबंध संपादन उपरांत जारी स्वीकृति आदेश दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिये वैध एवं बंधनकारी होगी। वर्ष के दौरान नवीन निविदा आमत्रिंत किये जाने पर नई निविदा प्रकिृया मे समस्त औपचारिकता संपादन उपरांत नवीन अनुबंध संपादित किये जाने की तिथी से पूर्व निविदा अनुबंध निलंबित माना जावेगा। तथापि इस संबंध में वनमण्डल की क्रय समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14. प्राप्त निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार उप संचालक बफरजोन के पास सुरक्षित होगा। उस परिस्थिति में जब किसी नियम या शर्तों के संबंध में स्थिति अस्पष्ट हो अथवा संशय या भ्रम की स्थिति हो निविदा नियमों के किसी संदर्भ के मौजूद होने अथवा न होने की स्थिति में अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा। संबधित बिन्दु की व्याख्या इस प्रकार की जावेगी जिससे कि उसका लाभ शासन के पक्ष को प्राप्त हो।

15. सामग्री के भुगतान में करों की कटोती जैसी की शासन द्वारा निहित हो इस कार्यालय द्वारा की जावेगी।

16. निविदा सामग्री के संतोषजनक प्रदाय की स्थिति में निविदाकार के बैंक खाता में ई–भुगतान किया जावेगा।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय मान्य एवं बंधनकारी होगा ।

उप संचालक,
बफरजोन वनमण्डल,
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

ई–अन्य नियम और शर्तें

20. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना या इच्छिक रूप से चुन सकता है और प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण सक्षम तकनीकि संस्थान से कराने पर यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है। और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

21. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज , नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोइ हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र /दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।

22. यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता हैं। कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत /अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले है। तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता हैं ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद किया जा सकता है। जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकर की राशि (ईएमडी) और निष्पादन का सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

23. सामग्रियों की आपूर्ति के संबध में, सामग्री को वैध स्त्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यकत दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है । यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नही दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

उप संचालक,
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 मे दिया गया है।

2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को साम्रगी की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करनें में विफल रहने में स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कारवाई करने के लिए निविदकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकर की राशि (ईमडी) जब्त कर ली जाएगी।

4. निविदाकर्ता , इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं और जैसा वह उचित समझे अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता हैं।

5. अुनबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रतिक्रियाओं द्वारा शामिल होगा ,ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय–समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर । सभी कानूनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगां।

उप संचालक
बफरजोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

(ब) निविदा दस्तावेज

1. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

I. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
II. पैन कार्ड
III. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
IV. 200 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक –1 नोटरी से पंजीकृत
V. पूरा अनुलग्नक –2
VI. पूरा अनुलग्नक –3
VII. सी.ए. प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाणपत्र
VIII. दुकानें ओर प्रतिष्ठान पंजीकरण (लकड़ी के आइटम में वन विभाग से जारी पंजीयन प्रमाण पत्र)
IX. 'एम.एस.ई. प्रमाणपत्र यदि ई.एम.डी. छूट मांगी गई है'
X. 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है।

(अनुलग्नक 4–खंड (I) और (II)

2 . सत्यांकार निधि (ईएमडी)

2.1 सत्यांकर निधि की गणना मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा सशोधित –2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

2.2 सत्यांकर निधि, निविदा भुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण भुल्क ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगां (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

2.3 सफल सत्यांकर निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ भाामिल की जानी चाहिए।

2.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकर निधि यथा शीघ्र वापस कर दी जाएगीं (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

2.5 सत्यांकर निधि जब्त की जा सकती है:

2.6 यदि निविदाकार निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता हैं या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है। जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो,

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार ,निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निश्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।,

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर /छिपी हुई पाई जाती है।

2.7 सत्यांकर निधि जब्त करने ओर निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2.8 संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन –कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं भार्ते वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाि ात की जाएंगी।

2.9 निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं का ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा–निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते है

3.0 पूर्व–योग्यता मापंदड अनुलग्नक 4 में दिए गए है, निविदाकारों को अपने पूर्व–योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्र प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व–योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

3.1 तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।

3.2 वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

3.3 निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

3.4 निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शमिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होगें, जो कि

वनमण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रूपये में होगा।

3.5 सभी संभाावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डल बफर जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्रक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

3.6 निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व – घोषणा– काली सूची में दर्ज नही होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ रूपये 200 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.0 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पस्टीकरण मांग सकता है । ऐसी बैठक का उद्येश्य मुद्दों को स्पस्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जबाब देना है । निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पस्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे ।

उप संचालक
बफरजोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

अनुलग्नक–1
प्रारूपः– स्वघोषणा
काली सूची में दर्ज नंही होने संबधित प्रमाण पत्र
रू. 200 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है ।

नोटरी सत्यापित

दिनांक / /2025

सेवा में

उप संचालक,
बफरजोन वनमण्डल
कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला

महोदय / महोदया,

दिनांक .... के निविदा संदर्भ संख्या .... के प्रत्युत्तर में ....के स्वामी /भागीदार /निदेशक के रूप में , मै/हम घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म .... का रिकार्ड बेदाग है तथा उसके किसी भी राज्य / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यो के लिए अयोग्य घोषित नंही किया गया है ।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म ....निविदा प्रस्तुत करने की तिथी पर किसी भी राज्य / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण व्यव्हार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नंही डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जाएगी तथा निविदा , यदि कोई हो , को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा ।

आपका धन्यवाद

निविदाकार का नाम

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संगठन की मुहर

दिनांक
स्थान

अनुलग्नक–2

प्रारूपः– निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार फर्म का नाम
2. पिता का नाम
3. स्थाई पता मकान क्रमांक
4. गली क्रंमाक
5. स्थान
6. जिला .... पिन कोड......................

   1. कार्यालय का पता ....
   ....

   2. गली क्रंमाक
   3. स्थान
   4. जिला .... पिन कोड......................

   5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण :– एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/..
   ...
   संख्या दिनांक ....
   राशि रू. ....
   जारीकर्ता बैंक का नाम .... शाखा ....
   फर्म का जी.एस.टी. नंबर ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संगठन की मुहर

अनुलग्नक–3

मैं/हम .... जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा बफरजोन वनमण्डल का संपूर्ण भोगोलिक क्षेत्र (मण्डला एवं बालाघाट जिला) होगा । मैं हम..................... बफरजोन वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हैं । मुझे/हमें क्षेत्र,प्रकार,स्तर,दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नंही है ।

मैने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कर्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं सभी स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मै.. निविदाकार का नाम पिता श्री........................... साकिन ....ग्राम/वार्ड कमांक ....तहसील..................जिला ....यह घोषणा करता हॅ कि ऊपर दी गई जानकारी मेंरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है । यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा । मैने निविदा दस्तावेज की सभी शर्ते, नियमों और आवश्यकताओं को पढ और समझ लिया है और उसका पालन करने की शपथ लेता हूॅ ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–4
पूर्व –योग्यता मापदण्ड

निविदाकार के पास होना चाहिए

पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मदों की संभावित राशि के 25 प्रतिशत से कम नंही होना चाहिए ।

सयुंक्त उद्यम के मामले में कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा । यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षो के संबध में औसत कारोबार को इस मापदण्ड के लिए ध्यान में रखा जाएगा ।

उप संचालक
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला

अनुलग्रक – 5
स्वीकृति पत्र क्रंमाक

क्र...
प्रति,..
मेसर्स...
(निविदाकार का नाम और पता)
विषयः
प्रिय श्री,......................................

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं	समग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दरें (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंः

क. रूपये ....(आंकड़ो में)की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गांरटी (रूपयें ....केवल शब्दों में)।निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा /बैंक गांरटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के एक वर्ष तीन महिने बाद तक वैध होगी,...................... के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

उप संचालक
बफर जोन वनमण्डल
कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला

अनुलग्नक 6

संयुक्त उद्यम(ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है। तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए :

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के सयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

क. भागीदारी में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण के सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा,

ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। ताकि यह सभी भागीदारी पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो,

ग. प्रभारी भागीदारी को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी और से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेश रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा,

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामलें में),

ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में सयुंक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की नि पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिएं,

च. संयुक्त उद्यम समझौते की पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और

छ. भागीदारो द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुती की जाएगी।

2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडो के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहित रूप से निर्दिश्ट मानदंड़ो को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार /संयुक्त उद्यम के नाम पर होगीं ।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्र करें।
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्र करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें:

क्रंमाक	भागीदारी विवरण	फर्म ''ए'' (प्रमुख भागीदार)	फर्म ''बी''	फर्म ''सी''

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 7
दरवाजे खिड़की एल्यूमीनियन सेक्सन आदि प्रदाय हेतु
(अनुबंध प्रारूप)

यह अनुबंध ,दिनांक_ को वनमण्डल अधिकारी_ जिला (म्र.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता)(जिसे आगे 'निविदाकर्ता'' कहा जाएगा) और मेसर्स_ (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे ''निविदाकार '' कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी , म्र.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे ''कार्य '' कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निश्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिश्ट किया गया है और उन्हें इस अनुंबध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।

2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निश्पादित और पूरा करने के लिए निविदकर्ता के साथ अनुबंध करता है।

3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुंबध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के नि पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।

4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात
   I. स्वीकृति पत्र
   II. निविदाकारों को निर्देश
   III. अनुलग्नक 1 से 3
   IV. बिल की मात्रा(BOQ) और
   V. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्व कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निश्पादित किया है।

सामान्य मुहर
इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:
1...........................
2....................................

उक्त_ द्वारा हस्ताक्षरित,मुहरबंद और परिदत्त_ की उपस्थिति में:

उप संचालक
बफरजोन वनमण्डल (म्र.प्र.)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर